

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अर्पित अर्धदण्ड का विवरण

ग्राह का नाम: मार्च, 2025

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य कर विभाग, मुसादाबाद जोन, मुसादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जारी जनसूचना के सार्वजनिक जानकारी प्राप्त सूचना आयोग सचनक ने आदेश दिनांक - 11/07/2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर, मुसादाबाद पर जारी की सूचना उपलब्ध न करने के कारण में क्षतिपूर्ति ₹ 5000.00 का अर्धदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर मुसादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिशनर के वेतन से उच्च क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000.00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर भुगतान की डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर मुसादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साथ उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर मुसादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर भुगतान की अनुसूचित धरित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर भुगतान तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर मुसादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्धदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर मुसादाबाद के पत्र सं० 456 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर को अर्धदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) को लिखित कर मुसादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिशनर (वि०अनु०शा०)	शून्य

2	राज्य कर विभाग, मुसादाबाद जोन, मुसादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-2 नजीबाबाद ।	16-07-2018	₹0 25000.00	अधिसूचित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि०कमि० को इस स्तर से पत्र सं० 1153 दि० 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।	शून्य	याचिज्य कर, घटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा० आयोग द्वारा उक्त घाट में सुनवाई हेतु निश्चित दिनांक 03.08.2021 के उपरांत आरंभित अर्थदण्ड रुपये, 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये घाट निरस्तार्थित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा कराने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्रांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साक्ष्य ग्रहण करी सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। अधिसूचित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मा० राज्य सूचना आयोग में लम्बित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद महोदय को पत्रांक 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, नैरो महोदय को पत्र सं० 140 दि० 09-05-2014 व पत्र सं०- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं।	शून्य
---	--	--	------------	-------------	--	-------	--	-------

03	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० कमि० (प्रशा०) वा०क० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० कमिशनर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई लिखि नियत नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० कमिशनर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं- 1/2482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो अभी वर्तमान में लब्धित है ।
----	----------	--	------------	----------	----	----	--	---

नोट:- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 736/08.07.2024, 797/16.07.2024, 1445/28.09.2024 एवं 1957/22.11.2024 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनुशा०) राज्य कर, गाजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के समक्ष दायर अपील क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है ।


 (कमलेश कुमार)
 उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
 मुख्यालय, लखनऊ ।